निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 आषाढ़ 1941 (श0)
(सं0 पटना 766) पटना, बुधवार, 3 जुलाई 2019

वाणिज्य-कर विभाग

अधिसूचना
3 जुलाई 2019

एस० ओ० 317 दिनांक 3 जुलाई 2019— बिहार माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) (जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 148 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बिहार राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों को, जिनका पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष या चालू वित्तीय वर्ष में 1.5 करोड़ रुपए तक संकलित आवर्त है, ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों के वर्ग के रूप में अधिसूचित करते हैं, जो माल या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदाय के ब्यौरे देने के लिए नीचे यथा वर्णित विशेष प्रक्रिया का अनुसरण करेंगे ।

2. उक्त रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, माल या सेवाओं या दोनों के जावक प्रदाय के ब्यौरे, बिहार माल और सेवा कर नियमावली, 2017 के अधीन ऐसे **प्ररूप जीएसटीआर-1** में देंगे, जो नीचे दी गई सारणी के स्तंभ (2) में यथाविनिर्दिष्ट तिमाही के दौरान उक्त सारणी के स्तंभ (3) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में यथा विनिर्दिष्ट समयावधि तक प्रस्तुत करने है, यथा :-

सारणी

क्रम सं.	**तिमाही, जिसके लिए प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे प्रस्तुत किए जाते हैं**	**प्ररूप जीएसटीआर-1 में ब्यौरे देने के लिए समयावधि**
(1)	**(2)**	**(3)**
1	जुलाई-सितंबर, 2019	31 अक्टूबर, 2019

3. उक्त अधिनियम की धारा 38 की उपधारा (2) और धारा 39 की उपधारा (1) के अधीन जुलाई, 2019 से सितम्बर, 2019 के मास के लिए ब्यौरों या विवरणी देने की समय सीमा, यथास्थिति, पश्चातवर्ती रूप से राजपत्र में अधिसूचित की जायेगी।

[(सं० बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–5) 1907)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

3 जुलाई 2019

एस० ओ० 317, दिनांक 3 जुलाई 2019 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार–राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाय।

[(सं० बिक्री–कर/जीएसटी/विविध–21/2017 (खंड–5) 1907)]
बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
डॉ0 प्रतिमा,
राज्य कर आयुक्त–सह–सचिव।

The 3rd July 2019

S.O. 317, Dated 3rd July 2019— In exercise of the powers conferred by section 148 of the Bihar Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) (hereafter in this notification referred to as the said Act), the Governor of Bihar, on the recommendations of the Council, hereby notifies the registered persons having aggregate turnover of up to 1.5 crore rupees in the preceding financial year or the current financial year, as the class of registered persons who shall follow the special procedure as mentioned below for furnishing the details of outward supply of goods or services or both.

2. The said registered persons shall furnish the details of outward supply of goods or services or both in **FORM GSTR-1** under the Bihar Goods and Services Tax Rules, 2017, effected during the quarter as specified in column (2) of the Table below till the time period as specified in the corresponding entry in column (3) of the said Table, namely:-

Table

Sl. No.	Quarter for which details in FORM GSTR-1 are furnished	Time period for furnishing details in FORM GSTR-1
(1)	**(2)**	**(3)**
1	July –September, 2019	31st October, 2019

3. The time limit for furnishing the details or return, as the case may be, under sub-section (2) of section 38 and sub-section (1) of section 39 of the said Act, for the months of July, 2019 to September, 2019 shall be subsequently notified in the Official Gazette.

[(File No. Bikri kar/GST/vividh-21/2017 (Part-5) 1907)]
By the order of Governor of Bihar,
Dr. Pratima,
Commissioner State Tax-cum-Secretary.

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 766-571+10-डी0टी0पी0।
Website: **http://egazette.bih.nic.in**